1) JDC, Chitrakoot Dham
2) DPRO Banda

201-23

उत्तर प्रदेश सरकार
पंचायतीराज अनुभाग-1
संख्या-1684/33-1-1997-123/97
लखनऊ दिनांक 30 अप्रैल, 1997

-:-अधिसूचना-:-

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-26 सन् 1947) की धारा-96-क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-4193के/33-664, दिनांक 27 जुलाई, 1966 का अधिक्रमण करके राज्यपाल उक्त अधिनियम संख्या-26 सन् 1947 की धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन राज्य सरकार की सभी शक्तियाँ, उत्तर प्रदेश में समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्यायोजित करते हैं।

आज्ञा से,
ह0
(राकेश कुमार मित्तल)
सचिव।

संख्या-1684(1)/33-1-97-123/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ।
2- राज्य निर्वाचन आयुक्त, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उ0प्र0, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- पंचायतीराज अनुभाग 2/3।

आज्ञा से,
ह0
(देवव्रत दीक्षित)
विशेष सचिव।

संख्या-1684(2)/33-1-97-123/97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी रूपान्तर सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस अधिसूचना को

---2

संख्या–3244/33–1–2013–3244/13

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2014

विषय–ग्राम पंचायत के प्रधानों के विरूद्ध जांच शिकायतों की जांच हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायत प्रधानों के विरूद्ध शिकायतों की जांच के समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा बिना किसी पुष्ट आधार के प्रधान के विरूद्ध जांच की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती है। कतिपय प्रकरणों में ग्राम प्रधानों को उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों से अवगत भी नहीं कराया जाता है एवं उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना हीं, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ प्रकरणों में उनके खातों पर सक्षम अधिकारी से भिन्न स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया जाता हैं, जिससे ग्राम पंचायतों के खाते में केन्द्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायतों को संक्रमित धनराशि हस्तान्तरित नहीं हो पाती है, जिससे एक ओर जहाँ निर्धारित अवधि के अन्दर पंचायतों के खाते में धनराशि के हस्तान्तरण की अनिवार्य शर्त पूरी नहीं हो पाती है वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायतों के विकास कार्य दुष्प्रभावित होते है। ग्राम पंचायतें भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ख के अन्तर्गत निर्वाचित संस्थाएं हैं। अतः यह आवश्यक है कि जहां एक ओर उन्हें कार्य करने के समुचित अवसर उपलब्ध कराये जायें, वहीं दूसरी ओर निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित संरक्षरण देते हुए सम्मान भी दिया जाय।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच उ0प्र0 पंचायत राज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) नियमावली 1997 के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों के अनुसार ही की जाय। उक्त संबंध में शासनादेश संख्या–3037(1)/33–1–2001–565/2000 दिनांक 08 अक्टूबर,

2001 से निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट कराते हुए मुझे यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत प्रधान एवं सदस्यों के विरूद्ध विभागीय निरीक्षणों/आडिट आदि के माध्यम से जो अनियमितता प्रकाश में आती है, उनके अतिरिक्त जनसामान्य से प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए:–

1. किसी प्रधान के विरूद्ध शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति अपनी शिकायत सरकार या जिला मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, किन्तु प्रत्येक शिकायत के साथ उसके समर्थन में शिकायतकर्ता को अपना शपथ–पत्र और उन सभी व्यक्तियों, जिनसे वह अभियोग से संबंधित तथ्यों की सूचना प्राप्त करने का दावा करता है, के नोटरी के समक्ष सत्यापित शपथ–पत्र और साथ में अभियोग से संबंधित दस्तावेज, जो उसके कब्जे में अथवा शक्ति में हों, संलग्न करने होंगें।

2. जिला मजिस्ट्रेट ऐसी किसी शिकायत की प्राप्ति एवं यह पता लगाने की दृष्टि से कि क्या उस विषय में औपचारिक जांच के लिए प्रथम दृष्ट्या कोई मामला है, जिला पंचायत राज अधिकारी को अथवा अन्य किसी जिला स्तरीय अधिकारी को प्रारम्भिक जांच करने के लिए आदेश दे सकता है, जो अधिकतम तीस दिन में प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

3. प्रारम्भिक जांच के आधार पर या अन्यथा जहां राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि धारा ९८ की उपधारा(1) के खण्ड(छ) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी प्रधान या उप प्रधान के विरूद्ध जांच की जानी चाहिए अर्थात् की गयी किसी प्रारम्भिक जांच में प्रधान प्रथम दृष्ट्या वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाय, वहां ऐसा प्रधान वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा और जब तक कि वह अंतिम जांच में आरोपों से मुक्त न हो जाय, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त ग्राम पंचायत के तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा।

4. प्रारम्भिक जांच के आधार पर प्रथम दृष्ट्या औपचारिक जांच हेतु मामला बनने पर राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट एक आदेश द्वारा जांच करने के लिए प्रारम्भिक जांच करने वाले अधिकारी से भिन्न, किसी जिलास्तरीय अधिकारी को नामित करेगा।

5. शिकायत होने के दिनांक से 6 माह के अन्दर सम्पूर्ण जांच कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी जायेगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रधान के विरूद्ध किसी अनियमितता पर शिकायत लोक सेवक द्वारा की जाये, तो उक्त बिन्दु (1) में दी गयी शपथ-पत्र आदि की व्यवस्था का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु जांच संबंधी अन्य कार्यवाहियां नियमावली के संगत प्राविधानों के अनुसार की जाय।

6. समान तथ्यों पर आधारित शिकायत की जांच नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप एक बार जांच हो जाने तथा जांच की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात पुनः जांच न करायी जाय।

3 मुझे यह भी कहना है कि जनपद मे प्राप्त सभी शिकायतों पर उपर्युक्तानुसार कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी से ही करायी जाये। कृपया उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3244 (1)/33-1-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

05/3/14

(समीर वर्मा)
विशेष सचिव।